राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
संख्या जी–३६७५/जी0एस0
दिनांक– ०३-०९,2019

नीलामी नोटिस

राज्यपाल सचिवालय,उ0प्र0, गेट नं0–09 लखनऊ में पुराने समाचार पत्र/पत्रिकाओं की सार्वजनिक नीलामी 'जहां है, जैसा है, के आधार पर दिनांक 11.09.2019 को पूर्वान्ह 11.30 बजे की जायेगी। यदि नीलामी की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय नीलामी की जायेगी

नीलाम होने वाली सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे के मध्य अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं नीलामी की शर्ते व नियम उ0प्र0 की वेव साइट www.upgovernor.gov.in पर देखा जा सकता है।

(साधना श्रीवास्तव)
विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक।

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की नीलामी हेतु शर्तें एवं नियम

1. नीलामी ''जहां है जैसा है'' के आधार पर होगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को रू0 5,000.00 (पांच हजार) मात्र की जमानत राशि जमा करनी होगी। यह धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में होगी जो कि विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय,उ0प्र0,लखनऊ के नाम से जारी होना चाहिए। यह बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जाना होगा। नीलामी में वही व्यक्ति भाग ले सकेंगे जिनके बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त हो चुके होगें। नीलामी के उपरान्त यह धनराशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करने उपरान्त अन्य बोलीदाता को वापस कर दी जायेगी। नीलामी राज्यपाल सचिवालय,उ0प्र0, गेट नं0–9 लखनऊ में की जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को तुरन्त पूर्ण धन का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। अधिकतम बोली दाता द्वारा अगर निर्देशानुसार धन जमा नही किया जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में प्रकरण निस्तारित कर दिया जायेगा। शेष धनराशि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के उपरान्त जमा करनी होगी।
4. नीलामी की स्वींकृति का पूर्ण अधिकार अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल,उ0प्र0 का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त का अधिकार अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल,उ0प्र0 का होगा।
5. नीलामी मूल्य जिसमें नियमानुसार देय कर अलग से देय होगा। स्वीकृति के उपरान्त समस्त सामग्री को ''जहा है, जैसे है'' के आधार पर सम्पूर्ण धन कर सहित जमा कराने के बाद तीन दिन के अन्दर कार्यस्थल से हटाना होगा अन्यथा मूल्य का 02 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अधिभार लगाया जायेगा।
6. सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 के मध्य अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क कर किया जा सकता है।

विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक,
राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।